STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संचिका संख्या : SHSB/PM/298/2011

पत्रांक :- 7412

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एव भागलपुर
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बॉका, गया, शिवहर एवं जहानाबाद

पटना, दिनांक 25.9.14

विषयः- दवाओं के गुणवत्ता जॉच हेतु दर अनुबंधित फर्मो के विपत्रों से 2 प्रतिशत की राशि कटौती किये जाने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक डा० मणिलाल रस्तोगी, डा०बी०बी०घोष लेन, मोतीझील, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 65 दिनांक 8.7.2014 द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को परिवाद पत्र देते हुए यह आरोपित किया गया है कि आपके जिला/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के द्वारा दवा खरीद में राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दवाओं के गुणवत्ता जॉच हेतु प्रावधानित 2 प्रतिशत विपत्र की राशि की कटौती नहीं कर करोड़ों रूपये की राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 9895 दिनांक 12.12.2013 के द्वारा दर अनुबंधित दवा आपूर्तिकर्ताओं से testing charge के रूप में कटौती की गयी विपत्र की 2 प्रतिशत की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वित्त प्रबंधक, वित्त कोषांग को भेजे जाने का निदेश दिया गया है।

3. परिवाद पत्र की प्रतिलिपि भेजते हुए निदेशित है कि पत्रांकित विषय पर अविलंब अपना प्रतिवदेन दिनांक 10.10.2014 तक राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के उपर्युक्त वर्णित पत्रांक 9895 दिनांक 12.12.2013 में निहित निदेशों का भी अनुपालन करना चाहेगें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)

कार्यपालक निदेशक

बच्चे दो ही अच्छे